न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

प्रार्थी

1. कमला देवी पत्नी सुल्तानसिंह जाति राजव निवासी– खोड़ीया (बाडीया पटियाल) तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण

1. खंगारसिंह पुत्र उदयसिंह
बाबुसिंह पुत्र रतनसिंह
पुनमसिंह पुत्र रतनसिंह जातिगण रावत, निवासीयान– निम्बड़ी पोकरिया की नाडी,
तहसील– सोजत, जिला– पाली राजस्थान

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 सपठित ओदश 39 नियम01 व 02 सपठित धारा 151 सीपीसी

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 51/2017

उपस्थितिः–

01. श्री ओमप्रकाश राजपुरोहित अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. श्री दुर्गाराम चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक २5/07/2_

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी गांव खोड़िया (बाडीया पटियाल), तहसील सोजत जिला पाली की स्थाई निवासी है एवं पीढ़ीयो से निवास करती आ रही है। सरहद मौजदा रायराखुर्द में स्थित कृषि भुमि खसरा नम्बर 2551 रकबा 1.3100 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम प्रार्थीया के हक हकुक एवं खातेदारी की स्थित है। जिसमे प्रार्थीया का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। खसरा नम्बर 2551 में अप्रार्थीगण द्वारा विधि विरूद्ध रूप से अतिक्रमण कर नाजाजय रूप से मेड़बंदी कर दी है एवं प्रार्थीया के खातेदारी हक हकुक व कब्जा काश्त की भुमि के उपयोग व उपभोग में रूकावट डालकर मेड़बंदी कर अड़चन पैदा की है। इन परिस्थितियों में अप्रार्थीगण के द्वारा उक्त नाजायज रूप से की गई मेड़बदी मौके से हटाकर प्रार्थीया का उक्त खसरा में माफिक रकबा कब्जा दिलवाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अप्रार्थीगण हमेशा प्रार्थीया के साथ लड़ाई झगडा करने हेतु उतारू रहते है एवं प्रार्थीया के खातेदारी हक हकुक के खसरा नम्बर 2551 में काश्त करने से रूकावट करने हेतु एवं भुमि खुर्द–बुर्द कर उसके स्वरूप में परिवर्तन कर नाजायज रूप से कब्जा करना चासहते है। जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीया की खातेदारी भुमि में अप्रार्थीगण द्वारा किए जा रहे अवैध कार्य को नहीं रोके जाने पर उसे बहुत ही अपुर्णीय क्षति हेागी। प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन एवं साम्य व न्याय का सिद्धांत प्रार्थीया के पक्ष में है। इन परिस्थितियों में अप्रार्थीगण के अवैध कृत्य को वाद के अंतिम निर्णय तक रोके जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थीया की खसरा नम्बर 2551 रकबा 1.3100 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम के नजरी नक्शे में लाल रंग से सम्पूर्ण रकबा दर्शाया हुआ है इसमें आसमानी रंग की डोटेट लाईन कर अप्रार्थीगण द्वारा जबरदस्ती प्रार्थीया के मना करने पर भी लाठी लकड़ी के बल पर दिनांक 26.02.2017 को की गई है। अप्रार्थीगण के उक्त अवैध कृत्य को रोकने हेतु पारित निर्णय की पालना में वक्त जरूरत आवश्यकता पड़ने पर पुलिस इमदाद की सहायता दिलवाये जाने का आदेश पारित फरमाया जाना न्यायसंगत है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र वर्णित परिस्थितियों में एवं साम्य व सिद्धांत के अनुसार सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिदुं प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थी के विरूद्ध है।

इस प्रकार सरहद मौजा रायराखुर्द में स्थित खसरा नम्बर 2551 रकबा 1.3100 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को बेदखली करने से रोकने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने की ईस्तदुआ की है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 बावजूद तामीली सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध दिनांक 22.01.2018 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार सोजत से मौका एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्राप्त हुई जो सामिल पत्रावली है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि सरहद मौजा रायराखुर्द में स्थित खसरा नम्बर 2551 रकबा 1.3100 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को बेदखली करने से रोकने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने की ईस्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तु प्रार्थना मय शपथ पत्र एवं फहरिस्त मय दस्तावेजात, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः पक्षकारों के हक अधिकार दस्तावेजो के आधार पर तनकियात कायत होकर/साक्ष्य उभयपक्ष रेकर्ड पर वाद विवेचन/विश्लेषण कर विनिश्चय किया जावेगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चूंकि प्रार्थीया रेकर्डेड खातेदार है। लिहाजा वाद निर्णय तक अप्रार्थीगण को सरहद मौजा रायराखुर्द के खसरा नम्बर 2551 रकबा 1.3100 हैक्टर किस्म बारानी दोयम भूमि में प्रार्थीया के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना उचित समझते है।

सोजत (राज.)

–: आदेश :–

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की सादिर की जाती है सरहद मौजा रायराखुर्द में स्थित खसरा नम्बर 2551 रकबा 1.3100 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में अप्रार्थीगण को प्रार्थीया के कब्जे काश्त मे दखल अन्दाजी करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 25/07/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
सोजत (राज.)